Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 1 | May 2023 - October 2023 | pp. 125-130

संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय के सिद्धान्त की महिलाओं के संदर्भ में सार्थकता

डॉ. हंसा शर्मा
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रों के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाया गया भारत का संविधान अपनी विषयवस्तु एवं भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। भारतीय संविधान की अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग करती है। संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान का निर्माण करते समय सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए पिछड़े व उपेक्षित वर्गों की उन्नति व विकास का हर संभव प्रयत्न किया गया। देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले महिला वर्ग के लिए भी स्वतंत्रता, समानता व न्याय की प्राप्ति हेतु अनेक संवैधानिक प्रावधान किये गए हैं। महिलाओं के लिए न्याय के सिद्धान्त को सार्थक बनाने के लिए मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धान्तों के माध्यम से राज्य के सकारात्मक दायित्वों एवं राज्य की मर्यादाओं को स्थापित किया गया है। साथ ही विभिन्न अधिनियमों एवं योजनाओं द्वारा महिलाओं को सशक्त करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। संविधान केवल महिलाओं को समानता की गारंटी ही नहीं देता अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने का अधिकार भी देता है। लेकिन फिर भी देश की लगभग आधी नागरिकता का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की स्थिति पर स्वतंत्रता, समानता, गरिमा एवं प्रतिनिधित्व की दृष्टि से विचार करना अत्यावश्यक है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि उपर्युक्त मापदण्डों के संघर्ष में महिलाएँ कौनसे पायदान पर खड़ी है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों की महिलाओं के संदर्भ में सार्थकता का परीक्षण करना है।

संकेताक्षर—*महिलाएँ, संविधान, राज्य, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता*

प्रस्तावना

भारत को लोककल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करने के लिए संविधान में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष,' 'लोकतांत्रिक' और 'गणतंत्र' शब्द डाले गए हैं। 'समाजवादी' शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है।[1] आजादी के दौर से ही संविधान निर्माता सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भावना से ओत-प्रोत थे, इसलिए उन्होंने भारत के संविधान में इन प्रावधानों को सम्मिलित किया। इस दृष्टि से सामाजिक न्याय का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के मामले में समान अवसर देना और असमानताओं को रोकना है।[2] संविधान का सामाजिक न्याय का विचार व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व देने की बात करता है फिर चाहे वह व्यक्ति किसी भी लिंग, जाति, धर्म, नस्ल का क्यों ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के पूर्ण अवसर व अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ प्राप्त हो इसके लिए संविधान द्वारा राज्य सत्ता को अनेक अधिकार व शक्तियाँ प्रदत्त की गई। सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता व समानता जैसी अवधारणाएँ अर्थहीन है।

महिलाओं के संदर्भ में सामाजिक न्याय के सिद्धान्त की बात की जाय तो उसके अनुरूप महिला कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण हेतु संविधान में अनेक प्रावधान किये गए हैं। यथा

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 14 द्वारा सभी के लिए कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान के अनुसार सभी वर्ग समान रूप से सामान्य विधि के अधीन होंगे। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की धारणा राजनीतिक लोकतंत्र में सामाजिक व आर्थिक न्याय को अपनी परिधि में ले लेती है।[3]

अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग,जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा।[4]

अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य को स्त्रियों व बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं किया जाएगा।[5]

अनुच्छेद 16 में वर्णित है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में अपात्र नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जाएगा।[6]

अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में, कार्य करने वाली महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक संताप, कार्य करने वाली महिलाओं के साथ कार्य स्थल पर अभद्र व्यवहार का निषेध भी सम्मिलित किया है।[7]

अनुच्छेद 23 में दासता का प्रतिषेध तो है ही स्त्रियों, बालकों व अपंग व्यक्तियों के अनैतिक व अन्य प्रयोजनों के लिए दुर्व्यापार का भी निषेध है।[8]

अनुच्छेद 32 में स्त्री-पुरुष सभी के अधिकारों को समान न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया है।

नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत

अनुच्छेद 39(ए) में स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।[9]

अनुच्छेद 39(बी) पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है।[10]

अनुच्छेद 39(ई) के अनुसार श्रमिक पुरुषों व स्त्रियों के स्वास्थ्य व शक्ति का आर्थिक परिस्थितिवश दुरुपयोग ना हो।[11]

अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।[12]

अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, गाँवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास का प्रावधान (इस संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से स्त्री जाति के सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है।[13]

अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है।

अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को उन्नत करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्त्तव्य वर्णित है।[14] (विशेषतः मादक पेयों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास)

अनुच्छेद 51(ए) ऐसी प्रथाओं के त्याग से सम्बन्धित है, जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।

अनुच्छेद 325 के अनुसार किसी भी व्यक्ति का धर्म, मूलवंश, जाति व लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना।

अनुच्छेद 326 स्त्री, पुरुष को समान मताधिकार प्रदान करता है।[15]

अनुच्छेद 243(बी) में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।[16]

महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय से सम्बन्धित प्रावधानों को प्रासंगिक तौर पर प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमों का अनुप्रयोग किया गया है। महिला कल्याण में उपयोगी प्रमुख अधिनियम है—

- हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 (संशोधन 2005)
- प्रसव लाभ अधिनियम, 1961 (संशोधन 1995)
- दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961 (संशोधन 1986)
- गर्भवती उपचार अधिनियम, 1971
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1976
- स्त्री अशिष्ट व्यवहार निरोधक अधिनियम, 1986
- सती निषेध अधिनियम, 1987
- प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, 1994
- भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम, 2001

- घरेलु हिंसा निरोधक अधिनियम, 2005
- यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2005

महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु शासन द्वारा किये गए उपर्युक्त सभी प्रयास सराहनीय है। जहाँ एक और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को पुरुषों के समान उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम द्वारा दहेज लेना व देना दोनों दण्डनीय माने गए, आगे चल कर तात्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप 1986 में संशोधित अधिनियम पारित कर इस प्रावधान को और अधिक कठोर बनाया गया।

'सती निषेध अधिनियम 1987 के माध्यम से पति की मृत्यु के उपरान्त विवाहिता द्वारा आत्मदाह करना प्रतिबंधित किया गया। इस तरह की घटना करना तथा बलपूर्वक प्रेरित करना दण्डनीय माना गया। विकसित तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिये 'प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम'-1994 से लागू किया गया जिसके अन्तर्गत गर्भावस्था में भ्रूण की पहचान नर व मादा के रूप में करना दण्डनीय माना गया।

नारी अधिकार को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कन्या को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह बालिग होने से पूर्व किये गये विवाह को अमान्य करार दे सकती है। इसके लिए सरकार ने 'विवाह कानून अधिनियम 1976' विशेष विवाह अधिनियम 1976' विशेष विवाह अधिनियम 1954 तथा हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में तात्कालिकता के अनुरूप संशोधन कर महिलाओं को यह अधिकार प्रदान किया है। स्त्रियों से अनैतिक कार्य तथा बल पूर्वक देह व्यापार करना, 'वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956' के तहत दण्डनीय माना गया। यह समाज के लिये एक अभिशाप है। वर्ष 1986 में अधिनियम में संशोधन कर इसके प्रारूप को और अधिक सशक्त बना दिया गया।

वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा के लिये 31 जनवरी 1992 में गठित राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक बिल का प्रारूप तैयार किया है, जिसके तहत लड़कियों का लगातार पीछा करना, स्त्रियों की शालीनता को आघात पहुंचना तथा ऐसी वस्तु भेजना जो आपत्तिजनक हो, इन सभी कृत्यों को कानून की संज्ञा में अपराध माना जायेगा। यह प्रावधान आईपीसी की धारा 509, 509(बी) तथा धारा 354 के तहत कानूनी कार्यवाही का प्रावधान तय करता है।

इनके अतिरिक्त सरकार महिला कल्याण व उनके विकास के लिये समय-समय पर विकास कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री समर्थ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि।

इन सभी अधिनियमों व योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनाना, शिक्षा, तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण की दिशा व दशा को प्रभावी बनाना है तथा महिलाओं के प्रति अत्याचार में कमी के साथ ही सामाजिक चेतना व जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करना है।

महिलाओं को सामाजिक स्तर पर सुदृढ़ बनाने हेतु किये गए इन समस्त प्रयासों की सार्थकता का यदि हम आंकलन करें तो देखेंगे कि इन समस्त प्रयासों के परिणामस्वरूप आंशिक सफलता ही हाथ लगी है। शक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार व समाज में नारी के दर्जे व सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने हेतु चाहे कितने ही विज्ञापन प्रसारित किये जायें अथवा कितने ही नियम निर्मित किए जायें, किन्तु फिर भी कई समाज बेटी के जन्म पर नहीं अपितु बेटे के जन्म पर उत्सव व खुशियाँ मनाते है। बेटे की चाह में लोग भ्रूणहत्या जैसे दुष्कर्म भी कर बैठते है।

केन्द्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर प्यू रिसर्च सेंटर का एक शोध वर्ष 2000-2019 के मध्य कम से कम 9 मिलियन महिलाओं के भ्रूण हत्या का संकेत देता है। यही कारण है कि भारत में लिंगानुपात निम्न स्तर पर बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुष पर 919 महिलाएँ है।

कन्या भ्रूण हत्या के संदर्भ में आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. अमर्त्य सेन ने कहा था कि 'भारत में अपनी वर्तमान 1.03 अरब की आबादी में से 3.5 करोड़ गायब हुई औरतों का हिसाब देना होगा। ये गायब हुई औरतें ही दरअसल वे लड़कियाँ है, जिन्हें कोख में ही मार दिया जाता है।' दूसरी और प्रमुख समाजसेवी मेधा पाटेकर का कहना है कि 'जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते है, वे लोग बेटी का महत्व नहीं समझ पाए है तथा उन लोगों का अभी पूरी तरह से मानसिक विकास नहीं हुआ है।'

शिक्षा की दृष्टि से देखे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर जहां 82.14 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 64.46 प्रतिशत है। भारतीय संविधान में 14 साल तक लड़के, लड़कियों को बिना भेदभाव के मुफ्त प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। 86वें संविधान संशोधन तथा 1 अप्रैल 2010 से लागू मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा विधेयक का प्रावधान होने पर भी बाल विवाह, कमजोर आर्थिक स्थिति व समाज की रूढ़ीवादी प्रवृत्ति महिला शिक्षा के मार्ग में बाधक है। परिणामस्वरूप महिलाएँ साक्षरता दर व नामांकन संख्या में भी पुरुषों की अपेक्षा पिछड़ी हुई है। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7 प्रतिशत से काफी कम है। संघ राज्य सरकार के प्रयास जैसे—सर्वशिक्षा अभियान (2001), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) मध्याह्न योजना (1995) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान (2015) और बालिकाओं के लिए अनेक छात्रवृत्ति योजनाओं ने बालिका शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार अवश्य किया है, किन्तु नामांकन की दृष्टि से लिंग अन्तर अभी भी जारी है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो असंख्य भारतीय महिलाएँ कुपोषण व रक्ताल्पता की शिकार है। भारत में खराब सामाजिक व आर्थिक स्थिति बहुत सी महिलाओं की पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सीमित कर देती है।

यद्यपि भारत में मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है। यह आंकड़ा 97% प्रति लाख जीवित जन्म का रहा गया है।19 और 2030 तक हम 70/लाख जीवित जन्म की स्थिति को प्राप्त कर लेगें किन्तु फिर भी पाश्चात्य एवं विकसित राष्ट्रों से तुलना करें तो इस स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कारणों में बाल विवाह, उचित खान-पान का अभाव, स्वयं महिलाओं की अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही इत्यादि प्रमुख कारण हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम के बावजूद भी यूनीसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 18 साल से कम उम्र में करीब 15 लाख लड़कियों की शादी होती है।

1961 के दहेज निरोधक अधिनियम द्वारा शादी में दहेज की मांग को अवैध माना गया तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (आईपीसी) की धारा 498(ए) में दहेज सम्बंधी मामलों में कठोर सजा का प्रावधान है। लेकिन फिर भी 95 प्रतिशत शादियों में दहेज दिया जाता है। दहेज से सम्बन्धित घरेलू हिंसा, आत्महत्या एवं हत्या के मामले सामने आते रहते है। केन्द्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में 2017 से 2021 के बीच प्रतिदिन करीब 20 दहेज हत्याएं दर्ज की गई है। 2017 और 2021 के बीच देश में 34,493 दहेज हत्याएं हुई है।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों एवं घरेलु हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के बावजूद महिलाएँ किसी ना किसी रूप में हिंसा का शिकार होती है। घरेलू हिंसा पुरुष शक्ति का महिला की शारीरिक कमजोरी पर सीधा प्रहार हैं और यह शक्ति असंतुलन की स्थिति को प्रकट करता है। इन सबका मूल कारण है- पुरुष का अहंकार जो हर कीमत पर स्त्री को अपने वर्चस्व में रखना चाहता है और इस वर्चस्व का सीधा रास्ता है महिला की शारीरिक कमजोरी पर चोट करना। घरेलू हिंसा का नशे की आदत से सीधा सम्बन्ध है। घरेलू हिंसा के जिम्मेदार पुरुषों में सर्वाधिक नशे के आदि होते है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 'घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा' कैटेगरी में 6,900 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई है।

21वीं सदी में शिक्षा के प्रसार और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारतीय समाज में देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां देखी जा सकती है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में यह प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा में देवी/ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता है और यह प्रथा लड़कियों के शारीरिक शोषण का कारण बन जाती है। इस प्रथा के खत्म न होने का कारण है- कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बच्चों के यौन शोषण के एक रूप में इस कुप्रथा का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम कानून या व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक 2018 में भी देवदासियों को यौन उद्देश्य हेतु तस्करी के शिकार के रूप में चिन्ह्ति नहीं किया गया है।

महिलाओं के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध का अधिनियम 1956 में पारित हुआ। अनुच्छेद 23 में स्त्रियों में दुर्व्यापार पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी युवतियों व महिलाओं के अवैध व्यापार सम्बंधी कई मामले देखे जा सकते हैं। महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ व शारीरिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती

जा रही है। हर रोज समाचारों की सुर्खियाँ बनता यह मुद्दा यह प्रश्न उपस्थित करता है कि क्या हम महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने में बिल्कुल असमर्थ है। देश में हर घंटे घटित दुष्कर्म की चार घटनाएं यह दर्शाती है कि महिलाएँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना घर में और ना ही कार्यस्थल पर।

शक्ति या निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी की दृष्टि से भी देखें तो वर्तमान में महिलाएँ आर्थिक दृष्टि से सक्षम स्वतंत्र होने के कारण निर्णय प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाती है, लेकिन फिर बहुत सी महिलाएँ है जो स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय नहीं ले सकती। उन्हें प्रत्येक कार्य व मुद्दे के लिए परिवार के पुरुष सदस्य की सहमति लेनी होती है।

सुझाव

नारी विश्व की सुन्दर चेतना, ममता व माया है। यदि पुरुष उसका शोषण या उत्पीड़न करता है तो यह तथ्य पुरुष समाज के लिए ही घातक सिद्ध हो सकता है। जहां देश की आधी जनसंख्या (महिला वर्ग) की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक हो तो ऐसी स्थिति में वह देश महाशक्ति कैसे बन सकता? कोई भी राष्ट्र नारी जाति की उपेक्षा कर प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः आज आवश्यकता है, नारी के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण को परिमार्जित करने की। आवश्यकता है, नारी को विकास के उचित मापदण्ड उपलब्ध कराने की। आवश्यकता है, समाज से लिंग भेदभाव को मिटाकर संवैधानिक प्रावधानों को साकार रूप देने की। नारी की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी स्तर पर ही प्रयास पर्याप्त नहीं है, अपितु नारी को स्वयं अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर, अपने प्रति किये जा रहे अन्याय, अत्याचार व उत्पीड़न का प्रत्येक स्तर पर निवारण करना होगा। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक स्तर पर वास्तव में न्याय दिलाने हेतु केवल कानूनों व नियमों का निर्माण ही काफी नहीं है, बल्कि इन कानूनों को कठोरतापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। इन कानूनों व नियमों के सम्बन्ध में प्रशासन में इतनी पारदर्शिता हो कि कोई भी समाज महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण आचरण का दुस्साहस ना कर सके। न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया जाय, ताकि नारी को न्याय की प्राप्ति हेतु लम्बी लड़ाई ना लड़नी पड़े।

साथ ही सकारात्मक सामाजिक व आर्थिक नीतियों द्वारा ऐसा वातावरण निर्मित किया जाय, जिससे कि महिलाएँ अपना पूर्ण विकास कर सकें, पुरुषों की भांति मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का कानूनी तथा वास्तविक उपभोग कर सकें, राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन में सहभागिता व निर्णय प्रक्रिया में उनकी समान भागीदारी हो, स्वास्थ्य रक्षा, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा व सार्वजनिक पदों तक महिलाओं की समान पहुंच हो। विकास प्रक्रिया में लैंगिक दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाय। राज्य का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने समस्त नागरिकों की जिसमें महिलाएँ भी शामिल हो, राजनीतिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक उपस्थिति दर्ज कराएं।

निष्कर्ष

महिलाओं के संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा सम्बन्धी उपर्युक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा किये गए प्रयासों को व्यवहार में आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई है। सामाजिक न्याय के लिये किये गए प्रयासों के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, किन्तु कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं का दुर्व्यापार, छेड़छाड़ व शारीरिक दुष्कर्म तथा घरेलू हिंसा जैसी समस्याएँ अभी भी बनी हुई है। महिला को समाज में समानता का वह दर्जा आज भी प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसकी वह हकदार है।

हम कह सकते है कि आर्थिक न्याय की तो शहरी व मध्यवर्गीय महिलाओं को कुछ हद तक प्राप्ति हुई है। राजनीतिक न्याय की सार्थकता राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं किन्तु स्थानीय स्तर पर अवश्य सिद्ध हुई है, लेकिन सबसे दयनीय स्थिति सामाजिक न्याय के सिद्धान्त की है, जिसकी प्राप्ति के लिये भारतीय नारी को कड़ा संघर्ष करना होगा।

महिलाओं को सामाजिक, न्याय प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को साकार रूप प्रदान करने में अनेक बाधाएं है जैसे—समाज की रूढ़ीवादी मान्यताएँ, पुरुष प्रभुत्व की भावना, भारतीय समाज में प्रचलित वैवाहिक ढाँचा पारम्परिक पुत्र मोह, निश्चित लैंगिक भूमिकाओं के निर्वाह हेतु महिलाओं का सामाजीकरण होना, प्रजनन कार्य व शिशु पालन-पोषण का एकांगी दायित्व, अशिक्षा व तुलनात्मक रूप से निम्न शैक्षिक स्तर, पारम्परिक श्रम विभाजन के अनुरूप निर्धारित प्रदत्त भूमिकाओं के निर्वाह में अधिक समय व श्रम का व्यय होना इत्यादि।

समाज के मनोमस्तिष्क में समानता के स्तर को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को अभी काफी लम्बा सफर तय करना है। समाज और सरकार द्वारा किये गए उपर्युक्त समस्त प्रयासों के सहारे ही महिलाएँ इस सफर को सफलतापूर्वक तय कर सकती है तथा तभी महिलाओं की उन्नति व विकास के लिए किये गए समस्त संवैधानिक प्रावधान पूर्णरूपेण सार्थक हो सकते हैं।

संदर्भ सूची

1. 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1976
2. गजेंद्रगडकर, पी.बी., कानून स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय, एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 1964, पृ.सं. 77,99
3. डालमिया सीमेन्ट (भारत) लि. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (1996)10 एस.सी.सी. 104
4. भारतीय संविधान का अनुच्छेद-15
5. बसु, दुर्गादास, भारत का संविधान—एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस प्रकाशन, गुडगांव, हरियाणा, 2010, पृ.सं. 92
6. उपर्युक्त, पृ.सं. 94
7. शुक्ल, अरविन्द, आधी दुनिया-विकास की राह पर (कुरुक्षेत्र, मार्च/2007), पृ.सं. 30
8. संजीत बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 328, पीपुल्स युनियन बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1982, एस.सी. 1473 (पैरा 14-15)
9. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(ए)
10. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(बी)
11. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(ई)
12. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42
13. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43
14. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47
15. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326
16. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243
17. एचटीटीपीएसः//एचआई डॉट एम डॉट विकीपीडिया डॉट इन
18. सारस्वत, ऋतु, भारत में महिलाओं की प्रस्थिति (कुरुक्षेत्र, मार्च/2007), पृ.सं. 31
19. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आजतक डॉट इन 30 नवम्बर 2022
20. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आजतक डॉट इन 14 दिसम्बर 2022